न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 372/2022

अनवान : –

1. रूकमा पत्नि श्योचन्द जाति बाजीगर निवासी थिराना हाल रताखेडा तहसील डबवाली जिला सिरसा हरियाणा।

– वादीया

बनाम्

1. रणवीर पुत्र श्योचन्द जाति बाजीगर निवासी थिराना हाल रताखेड़ा तहसील डबवाली जिला सिरसा हरियाणा
2. कमला पुत्री श्योचन्द जाति बाजीगर निवासी थिराना हाल रताखेड़ा तहसील डबवाली जिला सिरसा हरियाणा
3. राजेश कुमार पुत्र महावीर जाति बाजीगर निवासी थिराना हाल रताखेड़ा तहसील डबवाली जिला सिरसा हरियाणा
4. जमना देवी पत्नि महावीर जाति बाजीगर निवासी थिराना हाल रताखेड़ा तहसील डबवाली जिला सिरसा हरियाणा
5. प्रदीप
6. तुषार
7. पुजा
8. समेस्ता

} पि. पृथ्वी जाति वाजीगर निवासी थिराना हाल रताखेड़ा तहसील डबवाली जिला सिरसा हरियाणा।

9. कलोदेवी पत्नि पृथ्वी जाति बाजीगर निवासी थिराना हाल रताखेड़ा तहसील डबवाली जिला सिरसा हरियाणा
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता **वादीया**

पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 13/04/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीया ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मोजा थिराना तहसील गोहर के खाता सं. 442/431 ख.न. 1/1 की 1.9720 हैक्टर भूमि स्थित है। जिसके श्योचन्द वल्द घुढ़ाराम के 1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार थे।

श्योचन्द वल्द घुड़ाराम दिनांक 13/02/2000 को फौत हो चुका है जिनके वादिया व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 2 व 3 ता 4 व प्रतिवादी सं. 5 ता 9 प्रथम श्रेणी के उतराधिकारी है चूंकि वाद भूमि पैतृक है तथा उक्त भूमि में वादीया 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 1 ता 2 का 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं. 3 व 4 का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादीगण सं. 5 ता 9 का 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। वाद भूमि बाबत पक्षकारान के मध्य बाहमी राजीनामा हो चुका है। तथा मुताबिक बाहमी राजीनामा के प्रतिवादीगण सं. 1 ता 9 अपना हक व हिस्सा वादीया के पक्ष में परित्याग कर दिया है जिसके मुताबिक वादीया रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के खाता सं. 442/431 के ख.न. 1/1 की 1.9720 हैक्टर भूमि में 1/2 हिस्सा की खातेदार काश्तकार है उपरोक्त आशयों की वादिया घोषणा करवाने की अधिकारिणी होने की बिनाय दावा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.04.16 17:06:46 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनु0)

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 लगायत 9 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 9 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 10 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम व पुरानी जमाबंदी पेश की जो की शामिल मिसल की गई।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त भूमि वादीया की पैतृक सम्पति है जो की वर्तमान में श्योचन्द पुत्र धुड़ाराम के नाम दर्ज है जो की वादीया का पति है। श्योचन्द वल्द घुड़ाराम दिनांक 13/02/2000 को फौत हो चुका है जिनके वादिया व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 2 व 3 ता 4 व प्रतिवादी सं. 5 ता 9 प्रथम श्रेणी के उतराधिकारी है चूंकि वाद भूमि पैतृक है तथा उक्त भूमि में वादीया 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 1 ता 2 का 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं. 3 व 4 का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादीगण सं. 5 ता 9 का 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। वाद भूमि बाबत पक्षकारान के मध्य बाहमी राजीनामा हो चुका है। तथा मुताबिक बाहमी राजीनामा के प्रतिवादीगण सं. 1 ता 9 अपना हक व हिस्सा वादीया के पक्ष में परित्याग कर दिया है जिसके मुताबिक वादीया रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के खाता सं. 442/431 के ख.न. 1/1 की 1.9720 हैक्टर भूमि में 1/2 हिस्सा की खातेदार काश्तकार है उपरोक्त आशयों की वादिया घोषणा करापाने की अधिकारिणी है। प्रतिवादी स0 1 लगायत 9 द्वारा वादीया के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादीया ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर कागजातों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.04.16 17:06:46 IST
Reason: SelfAttested

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर गौर किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मोजा थिराना तहसील गोहर के खाता सं. 442/431 ख.न. 1/1 की 1.9720 हैक्टर भूमि स्थित है। जिसके श्योचन्द वल्द

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनु0)

घुढ़ाराम के 1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार थे। वादीया का कथन है कि उक्त भूमि वादीया की पैतृक सम्पति है जो की वर्तमान में श्योचन्द पुत्र धुड़ाराम के नाम दर्ज है जो की वादीया का पति है। श्योचन्द वल्द घुड़ाराम दिनांक 13/02/2000 को फौत हो चुका है जिनके वादिया व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 2 व 3 ता 4 व प्रतिवादी सं. 5 ता 9 प्रथम श्रेणी के उतराधिकारी है चूंकि वाद भूमि पैतृक है तथा उक्त भूमि में वादीया 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 1 ता 2 का 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं. 3 व 4 का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादीगण सं. 5 ता 9 का 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। वाद भूमि बाबत पक्षकारान के मध्य बाहमी राजीनामा हो चुका है। तथा मुताबिक बाहमी राजीनामा के प्रतिवादीगण सं. 1 ता 9 अपना हक व हिस्सा वादीया के पक्ष में परित्याग कर दिया है जिसके मुताबिक वादीया रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के खाता सं. 442/431 के ख.न. 1/1 की 1.9720 हैक्टर भूमि में 1/2 हिस्सा की खातेदार काश्तकार है उपरोक्त आशयों की वादिया घोषणा करापाने की अधिकारिणी है, वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया है कि वाद वादीया मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हमें कोई ऐतराज नही है वादीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के मुताबिक श्योचन्द का देहान्त हो चुका है एवं वादीया द्वारा पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा श्योचन्द के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। अतः वाद वादीया साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी स0 1 लगायत 9 की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा थिराना तहसील गोहर के खाता सं. 442/431 ख.न. 1/1 की 1.9720 हैक्टर भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि श्योचन्द पुत्र धुड़ाराम के नाम दर्ज है, में श्योचन्द पुत्र धुड़ाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/— रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 13/04/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.04.16 17:06:46 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 372/2022

अनवान : –

1. रूकमा पत्नि श्योचन्द जाति बाजीगर निवासी थिराना हाल रताखेडा तहसील डबवाली जिला सिरसा हरियाणा।

– **वादीया**

बनाम्

1. रणवीर पुत्र श्योचन्द जाति बाजीगर निवासी थिराना हाल रताखेड़ा तहसील डबवाली जिला सिरसा हरियाणा
2. कमला पुत्री श्योचन्द जाति बाजीगर निवासी थिराना हाल रताखेड़ा तहसील डबवाली जिला सिरसा हरियाणा
3. राजेश कुमार पुत्र महावीर जाति बाजीगर निवासी थिराना हाल रताखेड़ा तहसील डबवाली जिला सिरसा हरियाणा
4. जमना देवी पत्नि महावीर जाति बाजीगर निवासी थिराना हाल रताखेड़ा तहसील डबवाली जिला सिरसा हरियाणा
5. प्रदीप
6. तुषार
7. पुजा
8. समेस्ता

} पि. पृथ्वी जाति वाजीगर निवासी थिराना हाल रताखेड़ा तहसील डबवाली जिला सिरसा हरियाणा।

9. कलोदेवी पत्नि पृथ्वी जाति बाजीगर निवासी थिराना हाल रताखेड़ा तहसील डबवाली जिला सिरसा हरियाणा
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 372 सन 2022 निर्णय दिनांक 13/04/2026

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री मदन मोहन जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा थिराना तहसील गोहर के खाता सं. 442/431 ख.न. 1/1 की 1.9720 हैक्टर भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि श्योचन्द पुत्र धुड़ाराम के नाम दर्ज है, में श्योचन्द पुत्र धुड़ाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 13/04/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.04.16 17:06:46 IST
Reason: SelfAttested

Rahul.
(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर